

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 1973/वैशाख 21, 1895

N.J. 182 ]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 1973/VAISAKHA 21, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*New Delhi, the 8th May 1973*

**S.O. 278(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints the following officers of Government, in addition to the officers appointed by its Notification No. 434/TN/72(2), dated the 10th October, 1972, to assist the Returning Officer for 23 Dindigul Parliamentary Constituency in the State of Tamil Nadu in connection with the bye-election to the House of the People to be held in pursuance of its Notification No. 100/TN/HP/1/72(1), dated the 18th April, 1973:—

1. Assistant Commissioner (Urban Land Tax), Madurai.
2. District Supply Officer, Madurai.
3. District Planning Officer, Madurai.
4. Special Deputy Collector (Rehabilitation), Madurai.

[No. 100/TN/HP/1/72.]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली 8 मई 1973

एस० ओ० 278 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/त० ना०-लो० सं० /1 / 72 (1), तारीख 18 अप्रैल, 1973 के अनुसरण में लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के सम्बन्ध में तमिलनाडू राज्य के 23, डिण्डीगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिए अपनी अधिसूचना सं० 434/त० ना० /72 (2), तारीख 10 अक्टूबर, 1972 द्वारा नियुक्त आफिसरों के अतिरिक्त निम्नलिखित सरकारी आफिसरों को एतद्द्वारा नियुक्त करता है :—

1. सहायक आयुक्त (शहरी भूमि कर), मदुराई ।
2. जिला प्रदाय आफिसर, मदुराई ।
3. जिला योजना आफिसर, मदुराई ।
4. विशेष उप कलक्टर (पुर्नबास ), मदुराई ।

[सं० 100/त० ना०-लो० सं० /1/72]

आदेश से,

वी० नागसु मण्यन्, सचिव ।